न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत कैम्प लापोद, तहसील सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

जस्व वाद स.– 20/2017
ायर तिथि– 05.04.2017
ारीख फैसला– 24.05.2018

ादीगणः–

स्व.धीराराम पुत्र नथाजी के कायम मुकाम वारिसान
1.भैराराम पुत्र स्व.धीरारामजी, उम्र 31 वर्ष, जाति कुम्हार
निवासी लापोद, तहसील सुमेरपुर,जिला पाली(राजस्थान)
बहैसियत स्वय एवम् बहैसियत आम मुख्तयार
2.श्रीमती तुलसीदेवी धर्मपत्नी स्व.धीरारामजी
3.दीपाराम पुत्र धीरारामजी
4.प्रभुराम पुत्र धीरारामजी
5.सोमाराम पुत्र धीरारामजी
जातिगण कुम्हार निवासीगण लापोद, तहसील सुमेरपुर,
जिला पाली(राजस्थान)

ब ना म

ातिवादीगणः–

स्व. पूना पुत्र नन्दारामजी के कायम मुकाम वारिसान
1.स्व.मांगीलाल पुत्र पूनाजी के कायम मुकाम वारिसान
1/1.मदनलाल पुत्र स्व0 मांगीलालजी,
1/2.प्रतापराम पुत्र स्व0 मांगीलालजी,
1/3.घेवरलाल पुत्र स्व0 मांगीलालजी,
1/4.श्रीमती हंजादेवी पत्नी स्व0 मांगीलालजी,
जातिगण दर्जी, निवासीगण लापोद, तहसील सुमेरपुर,
जिला पाली(राजस्थान)
2.श्रीमान् भूमिधारी–तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली(राजस्थान)।

::– वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1955–::

–:निर्णयः–

वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा लापोद पटवार हल्का लापोद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 772 रकबा 1.7200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम आई हुई स्थित है। जिसके गत खसरा नं. 484/3(484 मी) रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम रहे हैं। उपरोक्त भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण सं. एक के दादा/ससुर पूना पुत्र नन्दाराम कौम दर्जी के नाम से दर्ज रही है जिसके सेटलमेंट के बाद नये खसरा नं. 772 रकबा 1.7200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम बने हैं। उक्त गत खसरा नम्बर 484/3 (484 मी) रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 06.03.1979 को पूना पुत्र नन्दारामजी से वादीगण के पिता धीराराम पुत्र नथाजी जाति कुम्हार, निवासी लापोद ने खरीद की हुई है। जिसका दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय बाली में दिनाक 28.07.1980 को पूस्तक सं. 1 जिल्द सं. 49 क्रम सं. 1244 पृष्ठ सं. 18 से 20 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। जिस भूमि पर सन् 1979 से वादीगण के पिता धीरारामजी का कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। धीरारामजी के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान वादीगण का उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त शांति पूर्वक चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/5 हिस्सा निहित है।

तहसीलदार व पटवारी हल्का लापोद के रिपोर्ट अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–2075 के खसरा नं. 772 रकबा 1.72 है. किस्म बारानी दोयम में पूना पुत्र नन्दाराम कौम दर्जी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का बेचान जरिए रजि दस्तावेज दिनांक 28.07.1980 को पूस्तक सं. 1 जिल्द सं. 49 क्रम सं. 1244 पृष्ठ स. 18 से 20 धीराराम पुत्र नथाजी कौम कुम्हार को किया हुआ है। लेकिन उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। वर्तमान में क्रेता व विक्रेता दोनों फौत हो चुके हैं। तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर वादीगण क्रेता धीराराम के कायम मुकाम भेराराम, दीपाराम, प्रभुराम सोमाराम पि. धीराराम कन्यादेवी, विमलादेवी पि. धीराराम तुलसीदेवी पत्नी धीराराम का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का लापोद कब्जा काश्त के आधार पर धीराराम के कायम मुकाम के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **24.05.2018** को राजस्व लोक अदालत कैम्प लापोद में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner